

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 26 सन 2021

अनवान :-

1. लालचन्द पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 31/11/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार रो है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लालचन्द पुत्र मनफुलराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भानाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र मनफुलराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण उर्फ फुला के स्थान पर लालचन्द पुत्र मनफुलराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लालचन्द पुत्र मनफुलराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र मनफुलराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुला दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम लालचन्द पुत्र मनफुलराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम मनफुलराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत की तरदीक /तहसीलदार की अभिशपा के आधार पर प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सयुतों /शपथ पत्र /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुला के स्थान पर लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुलाराम उर्फ मनफुलराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाक्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/1/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिपति (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/136LRH/26 दिनांक :- 31/01/2022

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 26/2021 अनवानी लालचन्द बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्यध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. लालचन्द पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 21/2021 अनवानी लालचन्द बनाम सरकार में दिनांक 31/1/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/60 की कुल 4.1998हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुला के स्थान पर लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फुलाराम उर्फ मनफुलराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)